संख्या–15/20/95–का–4–2008

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक अनुभाग–4 लखनऊः दिनांकः 29 दिसम्बर, 2008

विषयः–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश को समय से अधियाचन प्रेषित किया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त के संबंध में मेरे पूर्वाधिकारियों द्वारा दिनांक 30.9.1991, दिनांक 2.1.1996 एवं दिनांक 27.5.1997 को शासनादेश निर्गत करते हुए, आपसे यह अनुरोध किया गया था कि समय से चयन की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु सम्पूर्ण सूचनाओं का समावेश करते हुए, 02 वर्ष पूर्व संबंधित पदों के अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित कर दिये जांय ।

2. समसंख्यक शासनादेश दिनांक 20.10.2008 के द्वारा आपसे यह भी अनुरोध किया गया था कि सम्मिलित राज्य/ प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2009 एवं सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2009 से संबंधित अधियाचन विलम्बतम दिनांक 15.11.2008 तक आयोग को प्रेषित कर दिये जांय, ताकि शासनादेश दिनांक 17.8.2006 के द्वारा निर्धारित समय–सारिणी का अनुपालन किया जा सके ।

3. लोक सेवा आयोग द्वारा अवगत कराया गया है कि उपर्युक्त शासनादेशों में अंकित सुस्पष्ट निर्देशों के बावजूद उन्हें समय से अधियाचन उपलब्ध नहीं कराये जा रहे हैं, जिससे विज्ञापन प्रकाशित कराने तथा समय से चयन कराने में अप्रत्याशित विलम्ब हो रहा है । अतः आपको निम्नवत् निर्देशित करने का मुझे निदेश हुआ है :–

(1) सम्मिलित राज्य/ प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2009 एवं सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2009 से संबंधित अधियाचन अविलम्ब लोक सेवा आयोग को प्रेषित कर दिये जांय, ताकि माह जनवरी, 2009 में उक्त चयनों से संबंधित विज्ञापन प्रकाशित कराये जा सकें ।

(2) आयोग द्वारा सम्पादित की जाने वाली अन्य परीक्षाओं/ चयनों से संबंधित अधियाचन 02 वर्ष पूर्व उन्हें उपलब्ध करा दिये जांय, ताकि शासनादेश दिनांक 17.8.2006 के द्वारा निर्धारित समय–सारिणी का अनुपालन किया जा सके ।

(3) प्रेषित किये जाने वाले समस्त अधियाचनों में रिक्तियों की सुस्पष्ट संख्या के साथ–साथ लम्बवत तथा क्षैतिज आरक्षण की स्थिति स्पष्ट करते हुए,संबंधित पद की सेवानियमावली की प्रति भी प्रेषित करने का कष्ट करें ।

4. उपरोक्त विन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित कर, कार्मिक विभाग को दिनांक 05 जनवरी, 2009 तक अवगत करा दिया जाय ।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव

संख्या–15/20/95(1)–का–4–2008, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
2. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

आज्ञा से,

(कुंवर फतेह बहादुर)
प्रमुख सचिव